न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1266/2026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–84/2026

अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविंद, निवासी–नियर बाला जी अपार्टमेंट, एम–ब्लॉक, सैक्टर–23 संजयनगर, थाना–मधुबन बापूधाम, जिला–गाजियाबाद--------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–22/2026
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद

09.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–22/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–मधुबन बापूधाम, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से रचना पत्नी अरविंद का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त को दिनांकः 18.01.2026 को पुलिसकर्मी घर से उठाकर ले गये थे तथा अभियुक्त से अवैध धन की मांग करने लगे, मांग पूरी करने में असमर्थ होने के कारण अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसा दिया। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त अभय उर्फ गौरव व अन्य सहअभियुक्तगण राहुल शर्मा व राहुल कोरी से वाहन एक्स०यू०वी० (कार) से संयुक्त रूप से 36 किलोग्राम

गांजा बरामद हुआ है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है, अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि फर्द बरामदगी के अनुसार आवेदक अभियुक्त अभय उर्फ गौरव व अन्य सहअभियुक्तगण राहुल शर्मा व राहुल कोरी से एक्स०यू०वी० वाहन (कार) से आते समय उक्त वाहन की चेकिंग करने पर उक्त वाहन से 36 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद होना कहा गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। आवेदक अभियुक्त अभय उर्फ गौरव प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है तथा सहअभियुक्तगण राहुल शर्मा एवं राहुल कोरी उर्फ मूसा द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त गांजा उन्होंने अभियुक्त पवन रॉय से खरीदा है। प्रस्तुत मामलों के तथ्यों, परिस्थितियों व बरामद अवैध नशीले पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अभय उर्फ गौरव की ओर से मु०अ०सं०–22/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–मधुबन बापूधाम, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–84/2026 निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480